निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 569) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–03/2008/1106—श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र (आई0 डी0 क्रमांक–1676), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर को इनके उक्त पदस्थापन काल वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में बदुआ जलाशय योजना के नहर पुनर्स्थापन कार्य में नहर बॉध पर मिट्टी भराई कार्य का ड्रेसिंग एवं लेवलिंग नहीं कराने जबकि कार्य समाप्ति पर था, मिट्टी कार्य का ड्रेसिंग एवं लेवलिंग नहीं कराने के कारण बॉध का रूपांकित सेक्शन का आकलन करना जॉच पदाधिकारी द्वारा संभव नहीं हो पाने, फिर भी बदुआ शाखा नहर, खैराती खॉ वितरणी एवं खैराती खॉ उप वितरणी के मिट्टी कार्य में 5 (पॉच) से 7 (सात) प्रतिशत की कमी पाये जाने का दोषी पाते हुए इनके विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 897 दिनांक 07.11.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान ही श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के दिनांक 31.01.12 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0–127 सह पठित ज्ञापांक 1760 दिनांक 25.11.14 द्वारा उनके विरूद्व पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1044 दिनांक 30.09.14 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष के तौर पर निम्न मंतव्य दिया गया हैः–

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1611 दिनांक 27.11.08, पत्रांक 1712 दिनांक 29.12.08 एवं पत्रांक 62 दिनांक 13.01.09 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर, मुंगेर को बदुआ जलाशय योजना के नहर पुनर्स्थापन कार्य में नहर बॉध पर मिट्टी भराई कार्य का ड्रेसिंग एवं लेवलिंग में बरती गयी अनियमितता के मामले में लिखित बचान देने के लिए अनुरोध किया गया था, परन्तु वे जॉच पदाधिकारी के समक्ष एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। पुनः संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 410 दिनांक 25.04.09 के आलोक में श्री मिश्र द्वारा दिनांक 05.05.09 को संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 15.05.09 को अपना बयान देने का अनुरोध किया गया परन्तु दिनांक 15.05.09 को भी आरोपित पदाधिकारी द्वारा लिखित अथवा मौखिक बयान नहीं दिया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 465 दिनांक 21.05.09 द्वारा दिनांक 05.06.09 को उपस्थित

होने का निदेश दिये जाने पर भी आरोपित पदाधिकारी श्री मिश्र संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाये।

अतः विवश होकर संचालन पदाधिकारी द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए उपलब्ध अभिलेखों यथा अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक उद0–029/2007–01 दिनांक 09.01.08 के आधार पर श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर पर आरोप वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के लिए बदुआ बायाँ शाखा नहर, खैराती खाँ वितरणी एवं खैराती खाँ उप वितरणी के मिट्टी कार्य में 5 (पाँच) से 7 (सात) प्रतिशत की कमी अर्थात् 5 (पाँच) से 7 (सात) प्रतिशत का अधिक भुगतान का आरोप प्रमाणित माना है।

उक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के अनुसार विभागीय पत्रांक 1968 दिनांक 16.12.14 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर (मुंगेर) सम्प्रति सेवानिवृत से बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

विभागीय पत्रांक 634 दिनांक 12.03.15 द्वारा स्मार दिये जाने एवं ''प्रेस विज्ञप्ति'' के माध्यम से भी आरोपित पदाधिकारी श्री मिश्र को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिये जाने के बावजूद उनका प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गयेः–

श्री विवेक कुमार सिंह, प्रभारी सचिव, मुंगेर जिला द्वारा रैन्डमली सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर अन्तर्गत बदुआ जलाशय योजना भाग–II के नहर के 650 से 700 चेन मिट्टी कार्य की जाँच अपर समाहर्त्ता से दिनांक 20.05.07 को करायी गयी थी। प्रारंभिक जाँच में अनियमितता पाये जाने पर विभागीय स्तर से जाँच कराने की अनुशंसा के आलोक में इसकी जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। विभागीय उड़नदस्ता द्वारा बदुआ शाखा नहर, खैराती खाँ वितरणी, खैराती खाँ उप वितरणी एवं सतघरवा जलाशय योजना की जाँच की गयी। जाँच के दौरान उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा बदुआ बायाँ शाखा नहर, खैराती खाँ वितरणी एवं खैराती खाँ उप वितरणी के रूपांकित सेक्शन के अनुरूप ड्रेसिंग एवं लेवलिंग में भी कमी पाया गया। उक्त कमी के लिए श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 897 दिनांक 07.11.08 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं इसकी सूचना इन्हें भी दी गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद आरोपित पदाधिकारी, श्री मिश्र द्वारा अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया। आरोपित पदाधिकारी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखे जाने के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी द्वारा एक पक्षीय सुनवाई करते हुए उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन से सहमत होकर बदुआ बायॉ शाखा नहर, खैराती खॉ वितरणी एवं खैराती खॉ उप वितरणी के मिट्टी कार्य में पॉच से सात प्रतिशत की कमी अर्थात, पॉच से सात प्रतिशत अधिकाई भुगतान हेतु आरोपित पदाधिकारी श्री मिश्र को दोषी पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में श्री मिश्र से विभागीय पत्रांक 1968 दिनांक 16.12.14 द्वारा किये गये द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर श्री मिश्र द्वारा समर्पित नहीं करने की स्थिति में विभागीय स्मार पत्रांक 634 दिनांक 12.03.15 एवं ''प्रेस विज्ञप्ति'' के माध्यम से भी उन्हें द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु आरोपित पदाधिकारी श्री मिश्र द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के संदर्भ में अपना पक्ष विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी श्री मिश्र द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने से उड़नदस्ता जॉच दल द्वारा पायी कमी को इनकी स्वीकारोक्ति माना जा सकता है। आरोपित पदाधिकारी श्री मिश्र द्वारा संचालन पदाधिकारी को विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं किया गया जिसके कारण संचालन पदाधिकारी को एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लेने की विवशता हुई। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा किये गये द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर भी इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने से संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इनके विरूद्व आरोप प्रमाणित होता है एवं बदुआ शाखा नहर, खैराती खॉ वितरणी तथा खैराती खॉ उप वितरणी के मिट्टी कार्यो में 25.15 रूपये प्रति धनमीटर की दर से 15 प्रतिशत कटौती के उपरान्त क्रमशः 33284.77 (तैतीस हजार दो सौ चौरासी रूपये सतहतर पैसे) 6524.00 (छः हजार पॉच सौ चौबीस रूपये) एवं 16093.41 (सोलह हजार तेरान्वे रूपये इकतालीस पैसे) अधिकाई भुगतान के लिए दोषी है, जिसकी तत्समय क्षति हुई।

फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत को ''दस प्रतिशत पेंशन पर दो वर्षो तक रोक'' का दण्ड देने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है। उक्त निर्णित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड देते हुए संसूचित किया जाता हैः–

''दस प्रतिशत पेंशन पर दो वर्षो तक रोक''।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्यामानन्द झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 569-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in